रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 28 जनवरी, 1984/8 माघ, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 दिसम्बर, 1983

संख्या लो०नि०(ख)-11-1(1) 1/78.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 अक्तूबर, 1979 का अधिक्रमण करते हुए और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं० 6) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल तत्काल एक पदेन अध्यक्ष और पन्द्रह अन्य सदस्यों से गठित राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड का निम्नलिखित रूप से पुनर्गठन करते हैं :—

	सरकारी सदस्य	
1.	वित्तायुक्त (राजस्व) हि० प्र० सरकार	पदेन अध्यक्ष
2.	आयुक्त एवं सचिव (लो० नि०), हि० प्र० सरकार	सदस्य

3.	प्रमुख अभियन्ता, हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता, (सि0 एवं जन स्वा0), हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग	,,
5.	निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, हिमाचल प्रदेश	,,
6.	निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश	,,
	गैर सरकारी सदस्य	
7.	आयुक्त नगर निगम शिमला	,,
8.	प्रधान नगरपालिका सोलन	,,
9.	प्रधान नगरपालिका धर्मशाला	,,
10.	प्रधान नगरपालिका मण्डी	,,
11.	प्रधान नगरपालिका चम्बा	,,
12.	सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड	,,
13.	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम	,,
14.	श्री सी0 डी0 जैन, हि0 कण्डकटर्ज, सोलन	,,
15.	इन्द्र मोहन वालिया, देहरा गोपीपुर, जिला कांगड़ा मत्स्य विभाग की ओर से	,,
16.	राज्यपाल सिंह कंवर, गांव व डाकघर रामपुर बुशैहर, जिला शिमला	,,

आदेश द्वारा,
ए0 के0 गोस्वामी,
आयुक्त एवं सचिव।

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 17 दिसम्बर, 1983

संख्या रा0-2-ए(3)-3/79.—हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1977 (1978 का 29) की धारा 23(1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ नियम, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं ;

और, प्रस्तावित संशोधनों को, सर्वसाधारण की सूचना के लिए एवं उनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मंगवाने के लिए, प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है।

अतः अब, प्रस्तावित संशोधनों को, सर्वसाधारण की सूचना के लिए एवं उनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मंगवाने के लिए जो एक विहित अवधि के भीतर अवर सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पहुंच जाने चाहिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधनों को अन्तिम रूप देने से पूर्व, नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों, यदि कोई हो, पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) नियम, 1983

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) नियम, 1983 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत होंगे ।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ नियम, 1981 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"किसी भी बैठक में सभी प्रश्नों पर विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएग और मतदान होने की स्थिति में अध्यक्ष इसमें भाग नहीं लेगा । फिर भी मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।"

3. नियम 5 का संशोधन.—(1) उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (2) में (व) शब्द "उपस्थित" के स्थान पर जहां-जहां भी यह आता है, शब्द "पूर्ण" प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(2) शब्द "किसी अगले अन्य दिन" तथा "तक" के मध्य शब्द "या समय" अंत: स्थापित किये जायेंगे ।

4. नियम 15 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 15 प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत:—

"15. विनियमों के प्रकाशन की रीति.—(1) जैसा कि धारा 30 के अधीन अनुध्यात है, बोर्ड विनियमों का प्रारूप तैयार करेगा और सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा ।

(2) विनियमों की अनुमोदित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, बोर्ड परिवर्तनों पर विचार करेगा, यदि सरकार ने कोई सुझाव दिया हो, और यदि वह उससे सहमत न हो तो प्रतिलिपि को अपने विचारों सहित सरकार को वापिस करेगा ।

(3) अन्तिम रूप से सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर बोर्ड, विनियमों को हिमाचल राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा जैसा कि अधिनियम की धारा 30 के अधीन अपेक्षित है ।"

5. नियम 16 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 16 के उप-नियम (1) में संख्या "1955" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठ अन्त:स्थापित किए जायेंगे, नामत:—

"पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब भूदान यज्ञ नियम, 1959."

आदेश द्वारा,
अतर सिंह,
सचिव ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-54/81.—क्योंकि श्री शमशेर सिंह प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत कश्मीर, विकास खण्ड नदौन, ज़िला हमीरपुर ने मु0 1194.76 पैसे की राशि अपने पास रख कर निजी प्रयोग में लाकर पंचायत फण्ड का दुरुपयोग किया । इसके अतिरिक्त मु0 2000/- रु0 की राशि जो कि खण्ड विकास अधिकारी नदौन ने पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों को पूर्ण करने हेतु उन्हें दी थी, सात मास तक पंचायत में जमा नहीं करवाई । मु0 201.10 रु की राशि अनाधिकृत रूप से दिनांक 30-6-82 से व मु0 1000/-रु0 की राशि कांगड़ा बैंक से दिनांक 28-8-82 को निकाल कर 31-3-83 तक अपन पास रख कर पंचायत फण्ड का अल्पकालीन दुरुपयोग किया है;

और क्योंकि 11/-रु0 प्रति घर पंचायत क्षेत्र में गृह कर वसूल करके अपने पद का दुरुपयोग किया तथा नियमों का भी उल्लंघन किया तथा न्यायिक कार्यवाही में भी अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षेप करने का दोषी पाये गये हैं व पंचायत द्वारा खरीदे गये 500 पत्थरों को भी पंचायत को वापिस न करके निजी प्रयोग में ला रखा है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री शमशेर सिंह को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कश्मीर के प्रधान पद से निष्कासित किया जाये तथा क्यों न उन्हें ग्राम पंचायत के आगामी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाये । उनका इस सम्बन्ध में उत्तर ज़िलाधीश हमीरपुर के माध्यम से इस विभाग को इस नोटिस की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर भीतर अनिवार्य तौर से प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते तथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव(पंचायत),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।